अध्याय-5

निर्वाचन

Chapter-V

Election

32. सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन— (1) सहकारी सोसाइटियों की समितियों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का, और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के निर्वाचन इस अधिनियम, नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालित होंगे।

32. Elections in Co-operative Societies.— (1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral roles for, and the conduct of, all elections to the committees of the co-operative societies shall be vested in the State Election Commission.

(2) The elections of the members of the committee of a co-operative society and its Chairman shall be conducted in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society.

33. राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य— राज्य निर्वाचन आयोग, शीर्ष तथा केन्द्रीय सहकारी सोसाइटियों के लिए और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसाइटियों, वृहत क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, कृषक सेवा सोसाइटियों, कृषि विपणन सोसाइटियों, भूमि विकास बैंकों, अरबन बैंकों, उपभोक्ता सोसाइटियों, डेरी सहकारी सोसाइटियों, बुनकर सहकारी सोसाइटियों, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियों के लिए और समस्त ऐसी सहकारी सोसाइटियों के लिए, जिनकी शेयर पूंजी पांच लाख रुपये या अधिक है तथा सोसाइटियों के ऐसे वर्ग के लिए भी, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचित किये जायें, ऐसी रीति से निर्वाचनों का संचालन करेगा जो विहित की जाये।

33. Functions of the State Election Commission.— The State Election Commission shall conduct elections in the manner, as may be prescribed, for all the apex and central co-operative societies and for the Primary Agriculture Credit Co-operative Societies, Large Area Multi-purpose Co-operative Societies, Farmers Service Societies, Agriculture Marketing Societies, Primary Land Development Banks, Urban Banks, Consumer Societies, Dairy Cooperative Societies, Weavers' Co-operative Societies, Housing Co-operative Societies and for all such co-operative societies, having a share capital of rupees five lacs or more and also for such class of societies as may be notified by the State Government for this purpose.

34. अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन— (1) धारा 33 में उल्लिखित से भिन्न सोसाइटियों में, समिति और इसके अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन स्वयं सोसाइटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा, इस प्रयोजन हेतु बुलायी गयी साधारण निकाय की बैठक में ऐसी रीति से किया जायेगा जो, विहित की जाये :

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग भी ऐसी सोसाइटियों के निर्वाचनों का संचालन उस दशा में करेगा, जब कोई सोसाइटी उससे ऐसा करने का अनुरोध करे या कोई सोसाइटी निर्वाचन का संचालन समय पर नहीं करवाये।

34. Elections in Other Societies.— In societies, other than those mentioned in section 33, elections for the members of the committee and its Chairman shall be conducted in the manner, as may be prescribed, in the general body meeting called for the purpose by an election officer appointed by the society itself :

Provided that the State Election Commission shall also conduct elections for such societies, in case where a society requests it to do so, or a society does not conduct elections in time.

35. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्य— सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी समस्त जानकारियां देगा और ऐसी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जिनकी वह स्वतंत्र और विधिपूर्ण निर्वाचन के संचालन के लिए अपेक्षा करे।

35. Duties of the Chief Executive Officer regarding elections.— The Chief

Executive Officer of a society shall furnish all information and provide all facilities to the Election Commission or a person authorised by it, which he may expect for conducting a free and lawful election.

36. निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी— किसी सहकारी सोसाइटी की निर्वाचन प्रक्रिया के एक बार प्रारंभ होने के पश्चात्, किसी प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी अन्य कारण से मुल्तवी नहीं की जायेगी।

36. Election process not to discontinue.— Election process of a co-operative society, once started, shall not be postponed for any reason, save for a natural calamity or any breakdown of law and order.

37. अनुदेश जारी करने की शक्ति— राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और विधिपूर्ण निर्वाचन संचालित करने के लिये, इस अधिनियम एवं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा, जो वह युक्तियुक्त समझे।

37. Power to issue instructions.— The State Election Commission may, subject to the provisions of this Act, and the rules, issue such instructions, as it may consider reasonable for conducting impartial and lawful elections.

❑ ❑